# बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण

## चर्चा में क्यों?

**भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** ने नवंबर, 2025 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची का **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)** शुरू किया है।

## प्रमुख बिंदु

- **संवैधानिक अधिदेश:**
    - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने तथा** संसद और **राज्य विधानमंडलों** के चुनावों के संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व सौंपता है।
    - **अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो,** वोट देने का अधिकार प्रदान करता है।
    - **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत कानूनी ढाँचा**
    - **धारा 16** विदेशी नागरिकों को निर्वाचन सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित करती है।
    - **धारा 19** यह अनिवार्य करती है कि व्यक्ति की आयु [illegible] को कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिये तथा वह [illegible] होना चाहिये।
    - **धारा 20** में "**सामान्य निवासी" (ordinarily resident)** की परिभाषा दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि [illegible]
        - हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति अस्थायी [illegible] है, तो भी उसे सामान्य निवासी माना जाएगा।
    - **धारा 21** चुनाव आयोग को यह अधिकार देती है कि वह [illegible] किसी भी समय कर सकता है, [illegible]

- **SIR शुरू करने के कारण:**
    - पिछले दो दशकों में व्यापक शहरीकरण और आंतरिक प्रवास के कारण चुनावी सूचियों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, ऐसा **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** ने अवलोकन किया है।
    - **डुप्लीकेट और अपात्र मतदाता प्रविष्टियों** को लेकर उठी चिंताओं के चलते ECI ने **राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पुनरीक्षण (SIR)** शुरू किया है, जिसकी शुरुआत **बिहार** से की गई है।
    - बिहार में पिछली बार विशेष पुनरीक्षण **2003** में हुआ था और अब इसे **नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों** से पहले इस अभ्यास के लिये प्राथमिकता दी गई है।
    - वर्तमान पुनरीक्षण के लिये निर्धारित तिथि **1 जुलाई, 2025** रखी गई है।
- **SIR के लिये संशोधित प्रक्रिया:**
    - **वर्ष 2003 से पहले नामांकित मतदाताओं** को केवल **वर्ष 2003** की सूची का एक अंश प्रस्तुत करना होगा।
    - **वर्ष 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं** को अपनी और अपने माता-पिता की **जन्मतिथि और स्थान को प्रमाणित करने वाले अतिरिक्त दस्तावेज़** प्रस्तुत करने होंगे।

- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्देश:**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता सत्यापन के लिये **स्वीकार्य 11 दस्तावेज़ों** की भारत निर्वाचन आयोग की सूची संपूर्ण नहीं है।
    - न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को सलाह दी कि वह चालू SIR में मतदाता पंजीकरण के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, **निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIP)** और **राशन कार्ड** पर विचार करे।
- **ECI का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण:**
    - नागरिकता के प्रश्नों का निर्धारण करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के पास संवैधानिक या वैधानिक अधिकार का अभाव है।
    - नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है।

- **लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (1995)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मतदाता सूची में पहले से सूचीबद्ध व्यक्तियों से उनकी नागरिकता पुनः साबित करने के लिये नहीं कहा जा सकता।
- **SIR से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - **विशेष पुनरीक्षण (SIR)** के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब *[illegible]* होती है, जिससे कई पात्र नागरिकों के बाहर होने की आशंका है।
  - **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA)** के अनुसार, केवल वही व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जो उस क्षेत्र में *[illegible] (ordinarily resident)* हों।
  - जो प्रवासी **काम या शिक्षा** के लिये स्थायी रूप से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, वे अपने *[illegible]* पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
  - हालाँकि, **SIR प्रक्रिया में नागरिकों पर ही अपने पात्र होने का पूरा प्रमाण देने की ज़िम्मेदारी** डाली गई है।
  - **बिहार सरकार के एक सर्वेक्षण** के अनुसार, जहाँ **87% लोगों के पास आधार कार्ड** है, वहीं **केवल 14% के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र** तथा **सिर्फ 2% के पास पासपोर्ट** है।
  - **मान्य दस्तावेज़ों की सूची से आधार को बाहर करने** का निर्णय *[illegible]* को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-voter-roll-revision-in-bihar

दृष्टि The Vision